संख्या-17/2022/348/तेइस-7-2022

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(व्यवस्थापन-ग वर्ग),
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 21 जुलाई, 2022

विषय:- श्रीमती सरोजनी सिंह पत्नी स्व0 श्री सुधीर सिंह, सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के स्वयं की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-756व्यग/07व्यग(25)/2022, दिनांक 17-05-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011, सहपठित प्रथम संशोधन नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्रीमती सरोजनी सिंह, पत्नी स्व0 सुधीर सिंह, सेवानिवृत्त, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,लखनऊ के स्वयं का उपचार मेदान्ता हास्पिटल, लखनऊ में दिनांक 02.01.2022 से दिनांक 13.01.2022 तक की अवधि में रहकर करायी गयी चिकित्सा पर दावा की गयी व्यय धनराशि रू0 8,95,962.83/- (रूपये आठ लाख पन्चानबे हजार नौ सौ बासठ एवं तिरासी पैसे मात्र) के सापेक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 7,31,737/-(रूपये सात लाख इकतीस हजार सात सौ सैतीस मात्र) की प्रतिपूति श्रीमती सरोजनी सिंह, पत्नी स्वर्गीय श्री सुधीर सिंह को किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। प्रश्नगत धनराशि का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त दावें से संबंधित बिलों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है।

3- उक्त चिकित्सा प्रतिपूति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-54 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2059-लोक निर्माण कार्य-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आयोजनेत्तर-80-सामान्य-001-निर्देशन तथा प्रशासन-04-कार्यकारी-49-चिकित्सा व्यय " मद के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त चिकित्सा दावा/इलाज से संबंधित समस्त बिल बाउचर व अन्य संगत अभिलेख मूलरूप में संलग्नकर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-17/2022/348(1)/तेइस–7–2022-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी,बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियन्ता(मु0-2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- श्रीमती सरोजनी सिंह पत्नी स्व0 श्री सुधीर सिंह, मकान नं0-78/112, न्यू गनेश गंज, लखनऊ।
9- गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।